<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

देवीसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 92/2023</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>12-04-23</td><td>अपीलार्थी देवीसिंह निवासी भालू जवाहरपुरा, भालू राजवा तहसील बालेसर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.01..2023 में (1) कलेक्ट्रेट परिसर में अवस्थित भू अभिलेख कार्यालय से नकशे लेने के आवेदन पत्र की प्रतिलिपि, से संबंधित सूचना लिए ,लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 442 दिनांक 05.04.2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 362 दिनांक 31.03.23 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि प्रतिलिपि आवेदन पत्र का प्रारूप इस कार्यालय की भू–अभिलेख अनुभाग में संधारित नहीं किया जाता है।
चूंकि लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।</td><td></td></tr>
</table>